राजस्थान सरकार

कार्यालय– आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर

क्रमांक : एफ 4( )बजट घोषणा / त.शिक्षा / सीटीएडी / 2019 / 4897 दिनांकः 17-2-2020

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
जयपुर (राज.)

विषय–प्रवेश विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये उदयपुर एवं जयपुर में उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्र में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश से संबंधित संलग्न विज्ञप्ति अनुसार दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका के जयपुर एवं उदयपुर संस्करणों में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रामजीवन मीणा)
अतिरिक्त आयुक्त–प्रथम

राजस्थान सरकार

कार्यालय– आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर

प्रवेश विज्ञप्ति

अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये उदयपुर एवं जयपुर में उत्कृष्ट प्रशिक्षण केन्द्र में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिये ऑन–लाईन आवेदन आमन्त्रित किये जाते है।

1. कार्यक्रम प्रारम्भ तिथि :– 16.03.2020
2. कार्यक्रम की अवधि :– 30 कार्य दिवस चार घण्टे प्रतिदिन
3. आयु सीमा :– 18 वर्ष से 30 वर्ष (01 जनवरी 2020 को)
4. योग्यता :– 1. राजस्थान राज्य का अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य
   2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की 10+2 योजनान्तर्गत न्यूनतम 12 वी कक्षा उतीर्ण अथवा समकक्ष अथवा आई.टी.आई. अथवा आर.एस.एल.डी.सी. के कौशल विकास प्रशिक्षण अन्तर्गत प्रमाण–पत्र।
5. अन्तिम तिथि :– 11.03.2020

अभ्यार्थी विभाग की वेब–साईट tad.rajasthan. gov.in पर दिये गये लिंक पर क्लिक करके ऑन लाईन आवेदन दिनांक 11.03.2020 तक कर सकते है।

आयुक्त

1, सहेली मार्ग, चैतक सर्कल, उदयपुर (राज.) EPABX 2428721-24 फेक्स : 0294-2424750 ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in.wevsite : www.tad.rajasthan.gov.in